

कार्यालय:- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/ गुण. तथा प्रशि. अनु./ गुण0प्र0/RKSMBK/ 61186/ 2021-22

दिनांक : 23.11.22

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषय:- राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 3-8 हेतु गणित, अंग्रेजी व हिन्दी विषयों के लिए दक्षता आधारित अध्ययन के आकलन हेतु दिनांक 03.11.2022 से 05.11.2022 तक आरकेएसएमबीके आकलन-1 का आयोजन हुआ।

संबंधित शिक्षको द्वारा उक्त आकलन के उत्तर पत्रको (ओसीआर शीट्स) को स्कैन कर आरकेएसएमबीके शिक्षक ऐप पर अपलोड किया गया था। इन अपलोड की गई आकलन शीट्स को ऐप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की सहायता से विश्लेषण कर विद्यार्थीवार आकलन रिपोर्ट कार्ड (होलिस्टिक रिपोर्ट) तैयार कर विभागीय वेबसाइट, शाला संवाद तथा शाला दर्पण के माध्यम से निम्न लिंक के अलावा शाला के स्कूल लॉगईन से प्राप्त किया जा सकता है:- <https://bit.ly/shalasangvad>, जिसे विद्यालय द्वारा डाउनलोड कर लिया गया होगा।

यह रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थी के दक्षता आधारित प्रदर्शन को व्यक्त करता है। विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में दक्षता के समक्ष स्टार सिम्बल अंकित है, जिसकी अधिकतम संख्या तीन है। तीनों स्टार विद्यार्थी द्वारा उक्त दक्षता में प्रवीणता को व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार तीन से कम स्टार उस दक्षता विशेष में शिक्षक एवं अभिभावक को विद्यार्थी की ओर अधिक ध्यान देने की अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

उक्त रिपोर्ट कार्ड एवं रिपोर्ट कार्ड की दक्षता आधारित समीक्षा को अभिभावकों के साथ सांझा करने, वंचित रहीं दक्षताओं की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त प्रयास में अभिभावकों से अपेक्षा हेतु विमर्श करने तथा विद्यार्थी के प्रदर्शन को निरन्तर रखने अथवा उसमें और सुधार के लिए प्रयासों हेतु कक्षाध्यापक/विषयाध्यापक के प्रत्येक अभिभावक के साथ समन्वय हेतु दिनांक 03.12.2022 को आरकेएसएमबीके आकलन-1 को विशेष अध्यापक-अभिभावक बैठक (पीटीएम) का आयोजन किया जाना है:-

आरकेएसएमबीके विशेष पीटीएम (PTM)	
दिनांक:-	03.12.2022
समय:-	दोपहर 12 बजे से

विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) की पूर्व तैयारी हेतु अपेक्षित कार्य:- PTM की पूर्व तैयारी हेतु निम्नांकित कार्य करवाये जाने अपेक्षित है:-

1. कक्षा 3-8 के समस्त विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करावें।
2. एक सप्ताह पूर्व अभिभावकों को निमन्त्रण देकर सूचित करें।
3. विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों के निमन्त्रण की सूचना भिजवाए।
4. जनप्रतिनिधियों/प्रतिनिधियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वयं संस्था प्रधान आमंत्रित करें।
5. पीटीएम की सूचना विद्यालय के सूचना पट्ट तथा सोशियल मीडिया में साझा कर इसे प्रचारित करें जिससे सभी अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकें।
6. विद्यालय की साफ-सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाये।

विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) पीटीएम के दिवस को किए जाने वाले कार्य:-

1. विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के साथ रिपोर्ट कार्ड साझा करना।
 2. विद्यार्थियों द्वारा किए गए विषयवार-दक्षतावार प्रदर्शन के संबंध में विषयाध्यापकों व अभिभावकों की चर्चा करवाना।
 3. विद्यार्थियों से संबंधित लाभकारी प्रोत्साहन विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।
 4. विद्यार्थियों द्वारा पूर्व पीटीएम के उपरांत प्राप्त उपलब्धियों (यथा प्रतियोगिताओं में अवार्ड अथवा जिला-राज्य स्तर पर भागीदारी आदि) को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।
 5. विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चार्ट/पोस्टर/मॉडल का प्रदर्शन करना।
 6. पीटीएम में के चित्रों को विद्यालय या ब्लॉक के सोशल मीडिया पर शेयर करना।
 7. पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों का विवरण शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करना
- उक्तानुसार विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जावे।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् राजस्थान, जयपुर।
03. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
04. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
05. अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
06. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा।
07. संबंधित पी.ई.ई.ओ/यू.सी.ई.ई.ओ/संस्था प्रधान।
08. डाईट प्राचार्य, समस्त जिले।
09. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
10. मैनेजर गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।



स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।